

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

माल खिड़की केवल आवासीय उपयोगों के

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 132 दिनांक 21/06/2019

जी + 1

प्रार्थीया श्रीमती प्रेमलता साठ श्री भागीरथ राम प्रेल
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 10 श्री भजनधर मेहता
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय नगर कंसरा नं. 375/62 जमा
 भवन निर्माण हेतु मानाचक्र कार्यालय में पेश जोधपुर
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12390/- जमा
 जरिये रसीद संख्या 1028/2629, 2630
 दिनांक 21/06/2019 को जमा करा दी है।

आवासीय

~~प्राप्तकर्ता~~
 नगर निगम, जोधपुर

21/06/19
 श्री लक्ष्मण माधुर
 सहायक नगर निर्माण
 नगर निगम, जोधपुर

98294-20015